हरिभूमि
इस्पात भूमि - Page 1
22 July 2025

दहेज के लिए किया प्रताड़ित, तीन साल की सजा

हरिभूमि न्यूज ▸▸| दुर्ग

दहेज प्रताड़ना के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति विजय पिता हीरा सिंह साहू (35 वर्ष) को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश अवध कुमार के न्यायालय से यह फैसला आया। मामले में यह भी जानकारी हुई की महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। प्रकरण के मुताबिक घटना वैशालीनगर थाना अंतर्गत रामनगर की है। घटना दिनांक 14 जनवरी 2024 को मृतका के पति ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उसने आरोप लगाया कि उसका जीजा विजय उसकी मृतक बहन योगिता को दहेद के प्रताड़ित किया करता था। कई बार मारपीट भी की। इसे लेकर उसने बालोद और वैशालीनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण के पास प्रताड़ना की वजह से खुदकुशी सिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन दहेज के प्रताड़ित किए जाने का आरोप सिद्ध हुआ। इस पर कोर्ट ने आरोपी को धारा 498 ए में 3 साल की सजा से दंडित किया।

■ न्यायाधीश अवध किशोर के न्यायालय से आया फैसला